

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1193/12-1, गोपेश्वर, दिनांक 16/09/2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- प्रपोजल सं० FP/UK/Road/9495/2015 अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- ई०डी०एस० दिनांक 22.07.2017

महोदय,

उपरोक्त सदरित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग प्रस्ताव में पार्ट I से पार्ट V तक के प्रपत्र जमा करने हेतु लिखा गया, के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर का पत्रांक 1924/23 एल०ए० दिनांक 12.09.2017 (संलग्न) से पार्ट I से पार्ट III तक प्रपत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल में संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 1924/एल०ए० दिनांक 12.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रप्त
13/9/17
व/क

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक 1924 / 23एल.ए.

दिनांक 12 / 09 / 2017

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

विषय— FP/UK/ROAD/9495/2015 अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार के प्रपत्र भाग-1, प्रपत्र भाग-2 एवं प्रपत्र भाग-3 पर हस्ताक्षरोपरान्त प्रपत्र भाग-4 में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून द्वारा भरा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-4 पर हस्ताक्षर हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को लिखने का कष्ट कीजिएगा। ताकि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न— उपरोक्तानुसार। (3पृष्ठ)

वैली. नं. 1885
क.ड.नं. 12-1
दिनांक 13/9/2017
प्रमाण - वन, वन प्रभाग

आधि. निदेशालय
स. 1. क. 1. 11-9-17

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रपत्र भाग-4 पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार (3पृष्ठ)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

1. A proposal has been received by this Office from the E.E PWD Gopeshwar District-chamoli (Uttarakhand) for diversion (under FCA 1980) of 2.10 Hectare. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the Construction of Atal adrash village Dewing Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 26-06-2017.
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a Forest area measuring 2.10 Hectare.
3. The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no-2 of Part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. - yes
4. There are no rare/endangered/unique Species of Flora and Fauna found in the area.-No
5. There are no Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument located in the area. - No
6. The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended for acceptance of the proposal for diversion of 2.10, Hectare of forest land for non-forestry purpose i.e., Construction of Atal Adrash village Dewing Motor Road.

Recommended in public interest.

Place- Gopeshwar

Date- 26-06-2017

(Signature)
Name (W. N. Pandey)
प्रमाणित वन्यजीव अधिकारी
वन्यजीव वन प्रभाग, धौलागढ़
Designation-----

Office Seal-----

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान *Construction of Atal Ashwath Village Dewing Motor Road*

- i) राज्य/राज्य शासित क्षेत्र - *उत्तराखण्ड*
- ii) जिला - *चमोली*
- iii) वन प्रभाग - *बड़ीनाथ वन उभाग, गोपेश्वर*
- iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - *2.10 है.*
- v) वन की कानूनी स्थिति - *2.10 है, सिविल*
- vi) हरियाली का घनत्व - *0.9*
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेत्रीय वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - *पुरान में संलग्न*
- viii) वृक्षारण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - *संलग्न*
- ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - *300 मी.*
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, साध रिजर्व, साथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बर्हन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) - *नहीं*
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे। - *नहीं*
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संलग्न प्राधिकरण से अनुपपत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - *नहीं*

- 8- जमीनदा एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - *पुस्तकबिर ~~का~~ ब्यौरे-धूम्र है.*
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - *नहीं*

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - संलग्न

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - प्रस्ताव में संलग्न

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि। - संलग्न

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - संलग्न

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये लक्ष्यों को दर्शाते हुए (सिलन करें)। - संलग्न

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र। - 803000 ha.

i. जिला का वन क्षेत्र। - 514792 ha.

ii. गागला की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 218 भागड़े 826.453 ha

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - शामिल नहीं

(ख) वनेत्तर भूमि पर 30/06/2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर - 462.94 ha.

(ख) वनेत्तर भूमि पर - 497.57 ha.

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्वया लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। - अनिष्ट में संक्षुति की जाती है।

दिनांक 26/06/2017

स्थान गोपेखर

हस्ताक्षर

नाम (रमेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वन्याधिकारी
कोनार लु प्रभाग, गोपेखरा

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/9495/2015

परियोजना का नाम- अटज आदर्श ग्रामयोजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में ग्राम पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

2. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक राय-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?

सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के कुल 100 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

परियोजना विकास क्रिया से सम्बन्धित है, जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 20-7-2017

स्थान राई

हस्ताक्षर 
नाम (जी. के. सस्तोगी)
वन संरक्षक
बड़वान दत्त
वसराखण्ड जेडी